न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः— 69 / 2025 प्रार्थना पत्र

जी.सी.एम.एस नम्बर—2025 / 99

उनवान

1. श्रीमती रंजना जैन पत्नि मुकेश जैन, आयु बालिग, निवासी मोहन कॉलोनी, बांसवाडा शहर, जिला बांसवाडा (राज.)

— **प्रार्थिया**

बनाम

1. श्री कचरा पिता डुंगरी डांगी, उम्र बालिग
2. श्री गलजी पिता डुंगरी डांगी, उम्र बालिग
3. श्री पेमु पिता भुरा डांगी, उम्र बालिग
4. श्री वाली पिता डुंगरी डांगी, उम्र बालिग,
5. श्री हीरा पिता भुरा डांगी, उम्र बालिग,
   निवासीयान झल्लारा, तहसीलझल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्रीमान् तहसीलदार साहब जरिये भूमिधारी राज्य सरकार, झल्लांरा तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)

—**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा.का.अ.

—::निर्णय::—

सहायक कलेक्टर सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)

दिनांक—25/02/2026

उपस्थितिः— श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता—प्रार्थीया
श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता—विपक्षी संख्या 1 से 5
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा उपस्थित

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है कि प्रार्थिया मौजा झल्लारा, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी नं. 3868 / 1330 की एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थिया की उक्त भूमि में आने—जाने का राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। खेत तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग विपक्षी की खातेदारी भूमि आराजी नं. 1332 से होकर, जो मुख्य सार्वजनिक सड़क से लगी हुई है, जाता है। विपक्षीगण बिना वैध कारण प्रार्थिया के वर्षों से उपयोग में लिये जा रहे रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे प्रार्थिया को अपने खेत में प्रवेश व काश्त करने में भारी परेशानी हो रही है। प्रार्थिया एक महिला काश्तकार है और उसके खेत तक पहुँचने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिया नियमानुसार डी.एल.सी. दर पर भूमि की कीमत जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी की आराजी नं. 1332 में से मुख्य सड़क से प्रार्थिया की आराजी तक 20—25 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता गोविन्दलाल डांगी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

ने वकालतनाम पेश किया तथा विपक्षी संख्या 01 सें 05 ने प्रार्थिया के धारा 251 राज. काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थिया की भूमि आराजी नं. 1330 वास्तव में कृषि भूमि नहीं बल्कि वर्षों से पानी से भरा तालाबनुमा क्षेत्र है, जिसमें कभी काश्त नहीं हुई। इस भूमि की पाल आराजी नं. 1349 है तथा उक्त क्षेत्र में आज भी पानी भरा रहता है। प्रार्थिया वास्तविक काश्तकार नहीं है, वह झल्लारा से लगभग 80 किमी दूर बांसवाड़ा की निवासी है तथा खेती नहीं करती। प्रार्थिया ने यह भूमि हाल ही में (दिनांक 09–06–2025) अपने सगे भाई सुशील कुमार जैन से दिखावटी विक्रय–पत्र द्वारा खरीदी है तथा मात्र 12 दिन में नामांतरण व बंटवारा कराकर जानबूझकर ऐसे हिस्से में खाता अलग कराया जहाँ रास्ता नहीं है, ताकि विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी नं. 1332 में से जबरन रास्ता लिया जा सके। प्रार्थिया एवं उसका भाई आपसी मिलीभगत से यह प्रकरण लाए हैं, जबकि आराजी नं. 1330 तक पहुँचने के लिए पहले से ही आम रास्ता आराजी नं. 1366 तथा पाल आराजी नं. 1349 के ऊपर से रास्ता उपलब्ध है, जिससे आज भी ट्रैक्टर, बैल आदि आते–जाते हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण ने आरोप लगाया है कि प्रार्थिया का भाई उक्त भूमि पर मार्बल माइंस प्रारम्भ करना चाहता है, जिसके लिए भू–वैज्ञानिकों द्वारा पत्थर की जाँच हेतु कई बोर किये गये हैं, और यह रास्ता कृषि प्रयोजन नहीं बल्कि व्यावसायिक (अकृषि) उद्देश्य से माँगा जा रहा है, जो धारा 251 के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। धारा 251 के अंतर्गत वही व्यक्ति रास्ता पाने का अधिकारी है जो वास्तविक काश्तकार हो, खेती करता हो तथा जिसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो। चूँकि प्रार्थिया ने कभी काश्त नहीं की, जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की, तथा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, इसलिए यह प्रार्थना–पत्र झूठा, कपटपूर्ण, मिलीभगतपूर्ण एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रकरण मे तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 563 दिनांक 22–08–2025 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण मे विपक्षीगण ने तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की एवं प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 39 नियम 7 जा.दि. को पेश कर उभयपक्ष की उपस्थिति मे स्थल निरक्षण रिपोर्ट पेश करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष का सुना गया। तथा आदेशिका दिनांक 16–12–2025 को विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 39 नियम 7 जा.दि. स्वीकार किया जाकर पुनः प्रकरण मे स्थल निरक्षण रिपोर्ट तलबी के आदेश जारि किया गया। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 755 दिनांक 26–12–2025 से प्राप्त हुई। जिस पर विपक्षीगण की आपत्ति पर उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय द्वारा पुनः भू.अ.नि. झल्लारा को स्थल निरिक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया।

भू.अ.नि. झल्लारा से दिनांक 23–01–2026 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमे अंकित किया किया कि प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता मौजा झल्लारा, पटवार हल्का झल्लारा के वर्तमान आराजी नम्बर 1332 रकबा 0.11 हैक्टेयर मेसे 0.0293 हैक्टेयर जिसकी लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर का प्रस्ताव मय अनुशंषा के संलग्न है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिये निकटतम रास्ता है।

प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23–01–2026 एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन उपभयपक्ष को कराया गया। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुये रिपोर्ट मे प्रस्तावित रास्ते अनुसार राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

विपक्षी संख्या 1 से 5 ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251 के अंतर्गत वही व्यक्ति रास्ता पाने का अधिकारी है जो वास्तविक काश्तकार हो, खेती करता हो तथा जिसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध न हो। चूँकि प्रार्थिया ने कभी काश्त नहीं की, तथा वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, इसलिए यह प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। विपक्षी ने अपने समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त गुमानाराम बनाम मूलाराम निर्णय दिनांक 23–04–2025 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर पेश की।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहॉ उचित प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) *जहॉ*

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है– तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–2 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही भू.अ.नि. झल्लारा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23–01–2026 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

तहसीलदार सलूम्बर की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 23–01–2026 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है एवं प्रस्तावित रास्ता मौजा झल्लारा, पटवार हल्का झल्लारा के वर्तमान आराजी नम्बर 1332 रकबा 0.11 हैक्टेयर मेसे 0.0293 हैक्टेयर जिसकी लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर प्रस्तावित की गई है। जिसे स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत निर्णय गुमानाराम बनाम मूलाराम विभाजन वाद से संबंधित है, जिसमें सह–खातेदारी भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस विभाजन के समय प्रत्येक सह–खातेदार को आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध कराना अनिवार्य माना गया है। वर्तमान प्रकरण धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्र रास्ता दिलाने से संबंधित है। अतः प्रस्तुत दृष्टांत तथ्यात्मक रूप से भिन्न है और वर्तमान विवाद पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता।

–::आदेश::–

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार झल्लारा को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 23–01–2026 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित आराजी नम्बर 1332 रकबा 0.11 हैक्टेयर मेसे 0.0293 हैक्टेयर जिसकी लम्बाई 32 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर रास्ते में आयी भूमि की एवज में परिपत्र दिनांक 14.06.2013 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि वर्तमान डीएलसी की द 2037000 प्रति हैक्टेयर अनुसार दुगुनी राशि 1,19,369 रूपये नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि विपक्षीगण को वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। दिनांक 23–01–2026 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय दिनांक 25/02/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर